

10/03/22

पञ्जाबली पेठा हुरे।
वकील वादी उपदिष्ट।
आथेयकवा वादी को
रुना गाथा। पञ्जाबली
लम्बे आले ले लम्बे
में फल रही है।
पञ्जाबली पर कार कार

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

आदेशा दिने जाने के उपरान्त भी
वादी द्वारा प्रतिकाडीगण की
तलबी नहीं करवाई है। अतः
वादी का वाद पत्र तलबी के
अभाव में O.R.S CPC के तहत
स्वार्थित किना जाता है। फतावली
दुर्ज नगवर से कम होकर बाखिल
दफ्तर है।

50V

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी